प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 19 – 26 नवम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के फैसले के परिदृश्य में रामदेव के योगपीठ को लीज देना सवालों में

शिमला/शैल। स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ को 2010 में दी गयी 96.2 बीघे जमीन को जयराम सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। स्मरणीय है कि वर्ष 2010 में धूमल सरकार द्वारा दी गयी इस जमीन को सत्ता बदलने के बाद बाकी वीरभद्र सरकार ने इसकी लीज का रद्द को रद्द दिया था। यह लीज रद्द होने के पंतजलि योगपीठ अदालत में चला गया था और अदालत ने इस

पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये थे। लेकिन इन निर्देशों से आगे यह मामला नही बढ़ा। लेकिन वीरभद्र शासन के ही अन्तिम वर्ष में सरकार और पतंजलि योगपीठ के बीच बात-चीत का दौर कुछ अधिकारियों की भूमिका के परिणामस्वरूप चला। इस बात बातचीत में यह रास्ता निकाला गया कि योगपीठ उच्च न्यायालय से बिना शर्त अपनी याचिका वापिस ले और उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी। इसके बाद सरकार ने योगपीठ के आग्रह को स्वीकारते हुए यह जमीन रामदेव के पतंजलि योगपीठ को वापिस दे दी। लेकिन जब वीरभद्र सिंह सरकार ने इस आवंटन की जांच शुरू करवायी थी तब इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस एफआईआर में यह आरोप है कि राजस्व रिकार्ड में जो जमीन आवंटित की गयी है व्यवहार में पीठ का कब्जा किसी और जमीन पर है। यह सब कैसे और किसकी मिलिभगत के कारण हुआ है इसी की जांच की जानी थी जो आज तक नही हो पायी है। दिलचस्प यह है कि यह एफआईआर आज भी खड़ी है। इस एफआईआर को न तो वीरभद्र सरकार ने वापिस लिया और न ही जयराम सरकार अब तक ऐसा कर पायी है बल्कि इसी एफआईआर के सहारे वीरभद्र शासन में कुछ अधिकारियों ने सरकार और योगपीठ के बीच बातचीत की जमीन तैयार की थी। अब भी चर्चा है कि कुछ अधिकारी हरिद्वार में हाजरी भर आये हैं और उन्होंने यह वकालत भी की कि योगपीठ से पुरानी लीज राशी 17,31,214 रूपये ही वसूल की जाये। लेकिन इस बार ऐसा हो नही पाया और यह राशी दो करोड़ से ऊपर चली गयी।

इस प्रकरण मे जो एफआईआर दर्ज है उसे सरकार आगे बढ़ाती है या वापिस लेती है इसका फैसला अदालत से ही आयेगा। सरकार यदि एफआईआर वापिस लेती है तो इसका आवदेन भी अदालत के समक्ष जायेगा और अदालत पर निर्भर करेगा कि वह इसे मान लेती है या नहीं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस आवंटन पर एतराज भी उठाया है। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में आये फैसले से खड़ा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विलेज कॉमन लैण्ड के आवंटन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया है।

15. In many states Government orders have been issued by the State Government permitting allotment of Gram Sabha land to private persons and commercial enterprises on payment of some money. In our opinion all such Government orders are illegal, and should be ignored.

22. Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/ Gram Panchayat/Poramboke/ Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land.

23. Let a copy of this order be sent to all Chief Secretaries of all States and Union Territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance reports to this Court from time to time

24. Although we have dismissed this appeal, it shall be listed before this Court from time to time (on dates fixed by us), so that we can monitor implementation of our directions herein. List again before us on 3.5.2011 on which date all Chief Secretaries in India will submit their reports.

.....J.
(Markandey Katju)

.....J.
(Gyan Sudha Mishra)

New Delhi; January 28, 2011

यह फैसला 28 जनवरी 2011 को आ गया था। इस फैसले के रिव्यू मे नही गयी है बल्कि प्रदेश की तत्कालीन मुख्य सचिव ने 29 अप्रैल 2011 को ही वाकायदा शपथपत्र देकर इसकी अनुपालना रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी थी। सर्वोच्च न्यायालय को भेजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में सभी जिलाधीशों को 10 मार्च 2011 को ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उस समय राजस्व, पर्यटन, कार्मिक और विधि विभाग के अधिकारियों की इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी। इस एक्ट में 1981 में संशोधन करके धारा 8(1) जोड़ी गयी थी और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इसमें 50% भूमि स्थानीय निवासीयों के उपयोग के लिये और शेष 50% सरकार के पास रहेगी जिसमें से पात्र व्यक्तियों को आवंटन किया जा सकेगा। यह पात्र व्यक्ति कौन होंगे इस पूरी तरह परिभाषित किया गया है।

अब सरकार ने इसमें 2016 में संशोधन किया है। इसी संशोधन के आधार पर रामदेव से लीज राशी ली गयी है। इसके बाद 2017 में भी संशोधन किया है और इस संशोधन के तहत राजनीतिक दलों को भी एक बीघा जमीन दिये जाने का प्रावधान किया है। दोनो संशोधनों मे **Village common Lands Vesting and utilization Act 1974** में संशोधन किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने विलेज कॉमन लैण्ड के आवंटन पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया है और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये मुख्य सचिव की जिम्मेदारी लगा रखी है तब सरकार ऐसे संशोधन क्यों कर रही है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर तभी अमल होगा जब कोई इस संबंध में आवाज उठायेगा? सरकार किन लोगों को किन उद्देश्यों के लिये कितनी जमीन लीज पर दे सकती है यह पूरी तरह परिभाषित है और रामदेव तथा उनका योगपीठ किसी भी गणित से उस परिभाषा में नही आता है। अब जब रामदेव के योगपीठ के खिलाफ दर्ज एफआईआर अदालत के सामने जायेगी तब अदालत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिदृश्य में इस आवंटन को कैसे जायज ठहरा पायेगी इस सबकी नज़रें लगी हैं।

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23th January, 2016

No. Rev-D (G) 6-69/2011-II.—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No 18 of 1974) and section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 and the same are being published in Rajpatra, Himachal Pradesh for general information of the public;

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 08th September, 2017

No.Rev-D(G)6-69/2011-III.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2017 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 1st July, 2017 for inviting the objections and suggestions from the General Public *vide* this Department Notification of even number dated 29-06-2017 as required under Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973);

भारतीय संस्कृति मेलों की विचारधारा पर आधारित:राज्यपाल

शिमला/शैल। भारत की संस्कृति मेलों की विचारधारा पर आधारित रही है तथा मेलों के माध्यम से जहां लोगों को आपस में मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होता है वहीं पर ऐसे आयोजनों से प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का सरंक्षण एवं संवर्धन होता है।

यह उदगार राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत ने छ: दिवसीय अंतराष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के समापन अवसर पर अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होने कहा कि कि हिमाचल प्रदेश को विश्व में देवभूमि के नाम जाना जाता है और प्रदेश की इस पावन धरा पर लोग बड़े अनुशासन एवं प्राचीन परंपरा के अनुरूप मेलों का आयोजन करते है जिसमें लोगों की अगाध श्रद्धा व आस्था जुड़ी है।

राज्यपाल ने कहा कि भारत के लोग ऋषि मुनियों की संताने है और हमारे पूर्वज महान आर्दशवादी थे। उन्होने कहा कि हमें महापुरूषों के आदर्शो से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होने कहा कि भगवान परशुराम जैसे महापुरूषों ने असुर शक्तियों के नाश के लिए भारत की धरती पर जन्म लिया और भारत की भूमि को असुरों से मुक्त किया। उन्होने भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान परशुराम एक महान योद्धा एवं प्रकाण्ड विद्वान थे जिन्होने वेद की रक्षा और लोगों को सदमार्ग पर चलने का ज्ञान दिया था।

राज्यपाल ने कहा कि ईश्वर के चित्र की पूजा नहीं बल्कि उनके चरित्र की पूजा करनी चाहिए और उनके आदर्शो को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होने कहा कि भारत की पावन भूमि पर अनेक ऋषि मुनियों ने कंदराओं में तपस्या करके समाज को आध्यत्मिकता से जोड़कर एक सूत्र में बांधने का संदेश दिया था। उन्होने कहा कि हिमाचल प्रदेश की धरती को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाना है जिसके लिए सभी लोगों को अपना रचनात्मक सहयोग देना होगा तभी इस मिशन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होने कहा कि जिस प्रकार युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार के नशे का शिकार हो रही वह चिंता और चिंतन का विषय है तथा युवा पीढ़ी को नशे की बुराई से बचाने के लिए प्रदेश में एक अभियान आंरभ किया गया है जिसमें सभी लोगों अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

राज्यपाल ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस बारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविरों का आयोजन करके लोगों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती बारे प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होने कहा कि रासायनिक खादों से भूमि की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, जिससे किसानों को अपनी मेहनत का अधिक पैदावार नहीं मिल पाती है। उन्होने कहा कि एक देशी नस्ल की गाय से एक माह में 30 एकड़ भूमि में शून्य बजट खेती की जा सकती है और लोगों को पुन: अपनी पारंपरिक जैविक खेती की ओर ध्यान देना होगा ताकि वर्ष 2022 तक प्रदेश को जैविक खेती राज्य बनाने में सफल हो सके।

इससे पहले राज्यपाल द्वारा भगवान परशुराम के प्राचीन मंदिर (देवठी) में विश्व शांति के लिए वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया तथा परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम सहित अन्य देवताओं की विदाई की गई।

राज्यपाल द्वारा मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया तथा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विभागों के अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। जिसमें आयुर्वेद विभाग ने प्रथम, कृषि ने द्वितीय और शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष रेणुकाजी विकास बोर्ड ललित जैन ने राज्यपाल सहित सभी अतिथिगणों का स्वागत किया और मेले के आयोजन में सहयोग देने वाले सभी गैर सरकारी एवं सरकारी सदस्यों, स्थानीय जनता तथा विभिन्न संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि मेले की पांच सांस्कृतिक संध्याओं में 250 से अधिक सिरमौर व प्रदेश के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया गया।

राज्यपाल ने किया अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सेंटर ऑफ एक्सलन्स महाविद्यालय संजौली में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन 24 नवम्बर को होगा।

राज्यपाल ने शिमला में पहली बार राष्ट्र स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से मिनी भारत के को देखा जा सकता है जहां देशभर की 16 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होने कहा कि खेलें हमेशा ही रोमांच तथा जिंदादिली की भावना पैदा करती हैं और खिलाड़ियों को प्रत्येक खेल एक सच्चे खिलाड़ी की भावना से खेलना चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य व अनुशासन के बारे में जागरूक करना है। उन्होने आशा जताई कि खेल प्रेमियों को कबड्डी की अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी और सभी टीमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी।

खेल निदेशक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रो. सुरेन्द्र शर्मा ने राज्यपाल से खिलाड़ियों का परिचय करवाया।

राज्यपाल ने सावित्री बाई फुले तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टीमों के बीच खेले गए मैच को देखा।

संजौली कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सी.बी. मेहता ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्य के सभी 12 जिलों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पटल शुरू

शिमला/शैल। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के तहत राज्य के सभी 12 जिलों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पटल का आरम्भ किया गया। प्रदेश स्तर के कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश के उप मिशन निदेशक तथा जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जिलों में की गई। कार्यक्रम का शुभारम्भ उपायुक्त कुल्लू यूनुस की अध्यक्षता में जिला कुल्लू में किया गया।

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पटल (आईएचआईपी) भारत के छ: राज्यों में आरम्भ किया जा रहा है। आईएचआईपी में वास्तविक समय, गांव, जीआईएस टैगिंग के साथ केस आधारित इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली की सुविधाएं होगी, जिनसे महामारी प्रवण रोगों की तत्काल रोकथाम और नियंत्रण में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि चूंकि यह पटल स्वास्थ्य विभाग का स्थाई स्तंभ होगा, इसलिए विभाग की अन्य शाखाओं जैसे तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और गैर-संक्रमणीय रोग कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी भी इस पटल में शामिल की जाएगी। रोगियों एवं स्वास्थ्य प्रबन्धकों/योजनाकारों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग की सभी प्रामाणिक जानकारियां आसानी से एक ही स्थान पर इसके माध्यम से उपलब्ध होगी।

E-PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer HPPWD TheogDistt Shimla H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost Rs.	EMD	Time allowed	Cost of tender Rs.	Eligible class of contractor
	C/O Kiari to Talin road km. 0/0 to 2/540 (SH:- C/O 5/ 7mtr. Wide F/C km. RD 0/ 210 to 0/735) under SCSP).	13,86,858	27,800	Two months	500	Class-D

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The Bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website **https://hptenders.gov.in.**
Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **https://hptenders.gov.in.** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender

3. Key Dates:

1.	**Date of Online Publication**	**27/11/2018 10:00 HRS**
2.	**Document Download Start and End Date**	**27/11/2018 18:00 HRS upto 07/12/2018 18:00 HRS**
3.	**Bid Submission Start and End Date**	**27/11/2018 18:00HRS upto 07/12/2018 18:00 HRS**
4.	**Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document**	**10/12/2018 10:30 HRS**
5.	**Date of Technical Bid opening, Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid.**	**10/12/2018 11:00 HRS 12/12/2018 11:00 HRS respectively**

4. TENDER DETAILS:
The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Cover:
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Documents/ Eligibility Information".**
ii) Cover2: shall contain **"BOQ/Financial Bid",** where contractor will quote his offer for each item.
5. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in **O/o Executive Engineer HPPWD Theog H.P**as specified in Key dates Sr. No. 4 on Tender Opening Date, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on**10/12/2018at1100 HRS** in the office of **Executive Engineer, Theog Division, H.P.P.W.D., Theog H.P.**by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **90 days** after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.
9. The bidders are advised to quote rates inclusive of G.S.T. as applicable notified vide Additional Chief Secretary (PW) to the Govt. of H.P. letter No.PBW(B)C(17)2/2012 dated **07/08/2018.G.S.T.** shall not be paid extra.
10. The contractor will give affidavit that he has not more than two works in hand for execution failing which the application shall be rejected.
11. The contractors whose rates are abnormally low may be asked to furnish the full justification of his rates failing which he will be debarred to complete in tendering for three months.
12. The provision of notification issued vide Addl. Chief Secy.(PW) to the Govt. of HP. notification No.PBW(B)22-1/2002 dated 26/5/2015 shall also be applicable.

Adv. No.-3298/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDERS"

Sealed item rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. I, HP-PWD, Bilaspur, for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registration stood renewed as per the revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act. 1968. The important dates of the **tenders are as under:-**

Date of application **13/12/2018**
Date of sale of tender form **15/12/2018**
Date of opening of tender. **17/12/2018**

The tenders shall be received up to **10.30 A.M. on 17/12/2018** and will be opened on the same day at **11.00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorised representatives, who may like to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on **15/12/2018 .**

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/Deposit at call/ Time Deposit Account in any of the Post-Office /Nationalised Bank in H.P. duly pledged in favour of **Executive Engineer, Bilaspur Division No. I, HP-PWD,** Bilaspur must accompany with the each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days**. The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Cost of tender form (In Rs.)	Time
1.	Construction of additional room and toilet in Veterinary Hospital Kuthera Distt. Bilaspur (H.P.)	4,29,000	8,600/-	350/-	Four months
2.	Construction of link road Binoula to Ree Kandela Km. 0/0 to 1/600. (SH:- C/o CD work at RD. 0/218 & 0/465 and Providing and laying soling in Km. 0/0 to 0/ 500).	4,50,000/-	9,000/-	350/-	Two months
3.	Construction of link road from Lower Bhaytar Km. 0/0 to 1/600. (SH:- C/o CD work at RD.0/209 & 0/412 and Providing and laying soling in Km. 0/0 to 0/500).	4,50,000/-	9,000/-	350/-	Two months
4.	Construction of path near Parking Gurudwara Chowk Bilaspur (H.P.). (SH:- P/F steel railing & steps).	4,85,025/-	9,700/-	350/-	Three months
	A/R& M/O approach road in NBT Housing Board Colony Bilaspur (H.P.). (SH:- C/o retaining wall & M.S. railing for House No. 71 to 75 phase-I in Housing Board Colony Bilaspur).	1,95,004/-	3,900/-	350/-	One months

TERMS & CONDITIONS:-
1. The contractors should have executed two similar type of works 1/3 of each amount put to tender or single work of amount equal to the amount put to tender within last 3 years.
2. The list of similar type of work executed & work done performance certificate issued by the concerned Executive Engineer should be accompanied with application.
3.The Earnest money should be accompanied with application. Application without earnest money will be rejected.
4. The photo copy of PAN Number/GST Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
5. The cost of tender form in prescribed form (Non-refundable) in form of cash in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No.I, HP.PWD, Bilaspur.
6. Copy of contractor registration should be attached with the application.
7. The copy of Tin No should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.

Adv. No.-3346/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

हिमाचल प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

शिमला/शैल। वर्ष 2018 के इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट सर्वेक्षण के तहत भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन व कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव में यह पुरस्कार शिक्षा सुरेश भारद्वाज को प्रदान किया।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पुरस्कार प्राप्त करने के उपरान्त मीडिया से बातचीत करते हुए कहा क राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7000 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है ताकि शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक नई योजना अटल आदर्श आवासीय विद्यालय आरम्भ की गई है ताकि विद्यार्थियों को नवीनतम सुविधाओं के साथ गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में से 50 प्रतिशत स्कूल लड़कियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थियों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित बनाने के भी प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट कक्षाएं आरम्भ करने के साथ-साथ योग, शतरंज, नैतिक शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपनी जीवन के रचनात्मक लक्ष्य को चुन सके।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर निकले होनहार विद्यार्थी, बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट सेल स्थापित किया गया है और नोएडा में ऊष्मायन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेधा पुरस्कार योजना के तहत ऐसे पात्र विद्यार्थियों जो मेडिकल, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे प्रशासनिक सेवा इत्यादि में कोचिंग के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत इस वित्त के दौरान पांच करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विद्यार्थियों को श्रम बाजार की आश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि युवाओं की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टेंकरिंग लेब स्थापित किए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थी उपकरणों के माध्यम से विज्ञान, तकनीकी अभियान्त्रिकी को समझ सकेगे।

सरकार और संगठन आपसी समन्वय से करें कार्य: मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मण्डल मिलन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार व संगठन को आपसी निकट समन्वय से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को लक्षित समूह तक पहुंचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार के 10 माह के कार्यकाल के दौरान अनेक कल्याणकारी व विकासोन्मुखी योजनाएं आरम्भ की गई। यह आवश्यक है कि आम लोगों व विशेषकर लक्षित समूह को इन योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे इनसे लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्रों की विकासात्मक योजनाओं के अनुश्रवण के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और कमियों को सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए ताकि इसमें सुधार किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय से प्रदेश केन्द्र से 9000 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रदेश के प्रति प्यार व विकास के प्रति चिन्ता दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पैंशन की आयु सीमा को कम करना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन

योजना इत्यादि से प्रदेश के वृद्धजनों, महिलाओं व युवाओं का कल्याण सुनिश्चि हुआ है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के बारे लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

भाजपा मण्डल अध्यक्ष रणदीप सिंह कंवर ने मुख्यमंत्री का क्षेत्र की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के लिए आभार व्यक्त किया।

दालों व चीनी खरीद में पिछले 10 माह में 81.90 करोड़ रुपये की बचत: किशन कपूर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम के निदेशक मण्डल की 157वीं बैठक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री व निदेशक मण्डल के अध्यक्ष किशन कपूर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि निगम द्वारा अप्रैल, 2018 से अक्तूबर, 2018 की अवधि के दौरान 741.65 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ जबकि गत वर्ष इस अवधि के दौरान 698.37 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। इस प्रकार इस अवधि के दौरान कारोबार 43.27 करोड़ रुपये अधिक है।

किशन कपूर ने कहा कि चम्बा जिला के पांगी के किल्लाड़, कांगड़ा जिला के चेतडु, मण्डी जिला के थुनाग तथा संधोल में गोदामों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके निर्माण की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए ताकि लोगों को इससे लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इन गोदामों के बन जाने से उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा विभाग उपभोक्ताओं को गुणात्मक दालें व अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान करवा रहा है। उन्होने कहा कि निगम ने दालों व चीनी की खरीद में पिछले 10 माह में 81.90 करोड़ रुपये की बचत की है। उन्होंने निगम के अधिकारियों को निगम के वाहनों पर एक माह के भीतर व्हिक्ल ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में निगम में आउटसोर्स आधार पर 11 कम्प्यूटर ऑप्रेटर भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

कपूर ने निगम के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत प्रदान किए जा रहे खाद्य पदार्थों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर सकती।

बैठक में नए गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। गैर सरकारी सदस्यों से निगम को सुदृढ़ करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

तेल विपणन कम्पनियों की नकली बेवसाइट बनाकर आवेदकों को किया जा रहा गुमराह

शिमला/शैल। इंडियन ऑयल कम्पनी के फील्ड ऑफिसर अक्षिन्द्र कुमार ने कहा है कि तेल विपणन कम्पनियों के अनुसार कुछ अज्ञात व्यक्तियों/एजैंसियों द्वारा नकली बेवसाइट बनाकर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं बारे में झूठी पेशकश कर, नकली ई-मेल आईडी एवं बेवसाइटों के द्वारा लोगों/आवेदकों को गुमराह करके धन इकट्ठा करने के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सम्पूर्ण देश में एलपीजी के वितरकों की नियुक्ति एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की एक उत्कृष्ट रूप से स्थापित चयनित प्रक्रिया है तथा केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया है। उन्होंने जन-साधारण से अपील करते हुए कहा है कि वह किसी भी अज्ञात या नकली ई-मेल आईडी व बेवसाइटों के बहकावे में न आएं। ऐसी घटना के सामने आने पर या पीडित व्यक्ति पुलिस की साइबर क्राईम शाखा के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसी) इन नकली ई-मेल आईडी व बेवसाइटों द्वारा किए गए किसी भी राशि भुगतान व लेन-देन के लिए किसी भी रूप से जिम्मेवार नहीं होगी। उन्होंने तेल विपणन कम्पनियां के माध्यम से जन-साधारण को सचेत करते हुए कहा कि ऐसी बेबसाइटों पर ऑनलाअन प्रतिक्रिया के रूप में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी देना जोखिम भरा हो सकता है, जिसका दुरूपयोग आपको वित्तीय और क्षति पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

90,000 दिव्यांगजनो को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी

शिमला/शैल। दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और इनमें विशेष क्षमताएं मौजूद हैं। बिक्रम सिंह ने कहा कि कौशल विकास निगम भारत सरकार के सहयोग से एशियन बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। परियोजना के तहत इस वर्ष 2000 दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने तथा इन व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगजनों की संख्या 1.55 लाख हैं और इनमें से 90,000 को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कृत संकल्प है वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 200 दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होने कहा कि लगभग 25000 दिव्यांगजन विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों की चिन्ता की और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए अधिनियम, 2016 पारित किया, जो इन व्यक्तियों को अनेक अधिकार प्रदान करता है।

कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि चेतना संस्था की संस्थापक मल्लिका नड्डा ने कहा कि अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों को प्रोत्साहित व सरक्षित किया गया है। अधिनियम में 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। रोजगार के लिए आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल भारत के तहत दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद का गठन किया है। मुख्यत: चार प्रकार की विकलांगता पर बल दिया गया है। इन व्यक्तियों को 23 प्रकार के कौशल कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

हि.प्र. कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक हंस राज शर्मा ने स्वागत किया तथा प्रदेश में निगम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश में 2.6 करोड़ दिव्यांगजन है और 45 प्रतिशत अशिक्षित हैं जिन्हें कौशल विकास के लिए सक्षम बनाना बड़ी चुनौती है। राज्य में 17 से 36 वर्ष आयुवर्ग के 50 हजार दिव्यांगजन हैं और इन्हें सक्षम बनाना आवश्यक है।

संयुक्त निदेशक सोमा रोबिन जॉर्ज ने दिव्यांगजनों के कौशल के लिए विभाग के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि 3800 दिव्यांगजनों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इनके लिए प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया गया है

हज यात्रा के आवेदन की तिथि 12 दिसम्बर तक बढ़ी

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय हज समिति ने हज के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है और राज्य हज समिति को हज आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 17 नवम्बर से बढ़ाकर 12 दिसम्बर, 2018 किया है। हज आवेदन प्रपत्र भारतीय हज समिति की वैबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि दस्तावेजों सहित आवेदन प्रपत्र हिमाचल प्रदेश हज समिति के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय कमरा संख्या 104, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 12 दिसम्बर से पहले पहुंचने चाहिए और इस तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कार्य का स्वरुप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

विश्वसनीयता के संकट में पूरा तन्त्र

अभी देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इनमें किसकी सरकारें बनेगी इसका पता परिणाम आने पर ही लगेगा। इन चुनावों के बाद अगले वर्ष मई में लोकसभा के लिये चुनाव होंगे। मोदी सरकार का सत्ता में इस कार्यकाल का यह अन्तिम वर्ष चल रहा है। इस चुनावी परिदृश्य को लेकर अभी तक केवल एक ही बात स्पष्ट है कि 2014 में मोदी भाजपा के पक्ष मे जो माहौल बन गया था वैसा आज बिल्कुल नही है। इस दौरान जिन राज्यों में भी लोकसभा के लिये उपचुनाव हुए हैं वहां भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अतिरिक्त भी पिछले दिनों गुजरात और कर्नाटक विधानसभाओं के लिये हुए चुनावों में भी गुजरात में भले ही भाजपा की सरकार बन गयी है लेकिन वहां कांग्रेस को भी बड़ी जीत हासिल हुई है। बल्कि इसी जीत के परिणामस्वरूप कर्नाटक में भाजपा सत्ता से बाहर हो गयी। इस परिदृश्य में पांच राज्यों में हो रहे चुनाव बहुत हद तक लोकसभा की तस्वीर साफ कर देंगे। यदि इन राज्यों में भाजपा सत्ता में न आ पायी तो उसके लिये लोकसभा में जीत हासिल कर पाना आसान नही होगा। इस दृष्टि से इन राज्यों में हो रहे चुनाव प्रचार और उसमें उभर रहे मुद्दों पर नज़र रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि यही मुद्दे लोकसभा चुनावों में भी केन्द्रिय मुद्दे होंगे।

2014 के लोकसभा चुनावों में यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय ही प्रचारित हो गयी थी। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आन्दोलन आया और लोकपाल की स्थापना मुख्य मांग बन गयी। सरकार को संसद में इस आश्य का बिल लाना पड़ा और यह विधेयक अन्ततः पारित भी हो गया। विधेयक आने के साथ ही अन्ना का आन्दोलन भी समाप्त हो गया और फिर सत्ता भी लोगों ने पलट दी। लेकिन नयी सत्ता अपने पूरे कार्यकाल में लोकपाल की नियुक्ति नही कर पायी। उल्टे भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन कर दिया गया। संशोधित कानून के तहत कोई भ्रष्टाचार की शिकायत कर पायेगा इसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो गये हैं। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के जिन मुद्दों पर लोगों ने सत्ता पलटी थी उनमें से एक भी मुद्दे पर मोदी के कार्यकाल में कोई परिणाम नही आया है। उल्टे आज देश की शीर्ष जांच ऐजैन्सीयों पर इन्हीं ऐजैन्सीयों के शीर्ष अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप लगाये हैं उससे न केवल इनकी अपनी ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गये बल्कि आम आदमी के विश्वास को गाहरा आघात लगा है।

आज सीबीआई का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है। इसी मामले में सीबीआई के ही उसी डीआईजी ने जो विशेष निदेशक अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच कर रहा है ने सर्वोच्च न्यायालय में वाकायदा शपथपत्र देकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीजीसी केन्द्र सरकार के कानून सचिव और पीएमओ के ही राज्य मन्त्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी के खिलाफ जो रिश्वतखोरी के आरोप लगाये हैं वह सबसे अधिक चिन्ता का विषय बन जाता है। आज तक मोदी सरकार यह दावा करती रही है कि उसके किसी अधिकारी या मन्त्री पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप नही लगे हैं। लेकिन आज सीबीआई के कार्यरत डीआईजी मुनीष कुमार सिन्हा ने शपथपत्र दायर करके सर्वोच्च न्यायालय में सीधे उन लोगों पर आरोप लगाये हैं जो सीधे प्रधानमन्त्री मोदी से जुड़े हैं। इस डीआईजी के आरोप और निदेशक आलोक वर्मा का सीबीआई के पास दिया गया ब्यान सबकुछ जनता की अदालत में पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय इससे खफा है वह ऐजैन्सी की विश्वसनीयता बहाल करना चाहती है। लेकिन आज शीर्ष अदालत को भी यह समझना होगा कि यह मुद्दा केवल अधिकारियों की प्रतिष्ठा उनके स्थानान्तरण तक का ही नही रह गया है। आज इन आरोपों की निष्पक्ष जांच देश की जनता के सामने आनी चाहिये और उसे यह लगना भी चाहिये कि सही में जांच हुई है। देश की जनता के भरोसे को अरूणाचल के स्व. मुख्यमन्त्री कालिखोपुल के आत्महत्या से पूर्व लिखे पत्र से बहुत ठेस लगी है इस पत्र का भी हर पन्ना हस्ताक्षरित है और यह पत्र भी जवाब मांग रहा है यह जवाब भी सर्वोच्च न्यायालय को ही देना होगा। इसी पत्र के साथ पत्रकार राण अयूब की किताब ''गुजरात फाइल्ज़'' में दर्ज सारा कथ्य भी जवाब चाहता है क्योंकि राणा अयूब ने दावा किया है कि यह किताब नही बल्कि एक स्टिंग ऑप्रेशन है। इस किताब पर आज तक संघ /भाजपा की कोई प्रतिक्रिया नही आई है।

इस तरह आज डीआईजी सिन्हा का शपथपत्र, कालिखोपुल का सुसाईड नोट और राणा अयूब की ''गुजरात फाईल्ज़'' जो कथ्य और तथ्य देश की जनता के सामने रख रहे हैं उसे गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री और देश की शीर्ष अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस पर कोई जवाब देश की जनता के सामने रखे। क्योंकि प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय इस सबसे सीधे जुड़े हैं।

क्या यह दबी चिंगारी को हवा देने की कोशिश है?

आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए निरंकारी भवन जैसे स्थान को चुनना इत्तेफाक नहीं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस बहाने ये लोग सिक्ख समुदाय और निरंकारी मिशन के बीच मतभेद का फायदा उठाकर पंजाब को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं।

''डॉ नीलम महेंद्र''

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब में खालिस्तान लहर के दोबारा उभरने के संकेत दिए थे। उनका यह ब्यान बेवजह नहीं था क्योंकि अगर हम पंजाब में अभी कुछ ही महीनों में घटित होने वाली घटनाओं पर नजर डालेंगें तो समझ में आने लगेगा कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। बरसों पहले जिस आग को बुझा दिया गया था उसकी राख में फिर से शायद किसी चिंगारी को हवा देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।

जी हाँ पंजाब की खुशहाली और भारत की अखंडता आज एक बार फिर कुछ लोगों की आँखों में खटकने लगी है।

1931 में पहली बार अंग्रेजों ने सिक्खों को अपनी हिंदुओं से अलग पहचान बनाने के लिए उकसाया था। 1940 में पहली बार वीर सिंह भट्टी ने 'खालिस्तान' शब्द को गढ़ा था। इस सब के बावजूद 1947 में भी ये लोग अपने अलगाववादी इरादों में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन 80 के दशक में पंजाब अलगाववाद की आग में ऐसा झुलसा कि देश लहूलुहान हो गया। आज एक बार फिर उसी आतंक के पुनः जीवित होने की आहट सुनाई दे रही है।

क्योंकि हाल ही में कश्मीर के कुख्यात आतंकी जाकिर मूसा समेत जैश ए महोम्मद के 6-7 आतंकवादियों के पंजाब में दाखिल होकर छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी।

इसके कुछ ही दिन बाद 2016 के पठानकोठ हमले की तर्ज पर चार संदिग्ध एक बार फिर पठानकोठ के पास माधोपुर से एक इनोवा कार लूट लेते हैं।

इसके अलावा पंजाब पुलिस के हाथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर हमले और कुछ खास नेताओं की टारगेट किलिंग की तैयारी कर रहे खालिस्तान गदर फोर्स के आतंकी शबनम दीप सिंह लगता है जो कि पाकिस्तान खुफिया अधिकारी जावेद वजीर खान के संपर्क में भी था।

इतना ही नहीं पंजाब पुलिस की काउंटर इनटेलीजेंस विंग भी आईएसआई के एक एजेंट इंद्रजीत सिंह को मोहाली से गिरफ्तार करती है।

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे जब पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में जालंधर के एक कॉलेज के हॉस्टल से तीन 'कश्मीरी छात्रों' को ए के 47 और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया जाता है। इन में से एक यूसुफ रफीक भट्ट, जाकिर मूसा का भतीजा है।, जी हाँ वही मूसा जो कि भारतीय सुरक्षा बलों का 'मोस्ट वांटेड' है और भारतीय सेना ने उस पर 12 लाख का ईनाम घोषित किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस घटना के बाद पंजाब के अन्य कई कॉलेजों से कश्मीरी छात्र भूमिगत हो जाते हैं।

और अब अमृतसर में निरंकारी सत्संग पर आतंकवादी हमला होता है जिसमें तीन लोगों की मौत जाती है और 20 घायल। अगर आपको लगता है कि ये कड़ियाँ आपस में नहीं मिल रहीं तो कुछ और जानकारियाँ भी हैं।

इसी साल 12 अगस्त को लंदन

में एक खालिस्तान समर्थक रैली का आयोजन होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि, इन घटनाओं के समानांतर सिक्ख फॉर जस्टिस नाम का एक अलगाववादी संगठन रेफरेंडम 2020 यानी खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह कराने की मांग जोर शोर से उठाने लगता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसे आई एस आई का समर्थन प्राप्त है, जो इसे 6 जून 2020 को लॉच करने की योजना बना रहा है। जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह तारीख कोई संयोग नहीं, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30 वीं बरसी है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कनाडा अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में रहने वाले सिक्खों को एकजुट करके पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा है।

इसी साल के आरंभ में जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत आए थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उन्हें कनाडा में खालिस्तान आंदोलन फैलाने वाले लोगों के नाम की सूची सौंपी थी।

दरअसल घाटी में आतंकी संगठनों पर सेना के बढ़ते दबाव के कारण वे अब पंजाब में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के कॉलेजों से कश्मीरी युवकों का आधुनिक हथियारों के साथ पकड़ा जाना इस बात का सबूत हैं।

और अब आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए निरंकारी भवन जैसे स्थान को चुनना इत्तेफाक नहीं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस बहाने ये लोग सिक्ख समुदाय और निरंकारी मिशन के बीच मतभेद का फायदा उठाकर पंजाब को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झुलसने की कोशिश कर रहे हैं।

असल में घाटी से पलायन करने के लिए मजबूर आतंकी अब पंजाब में पनाह तलाश रहे हैं। घाटी में उनकी दयनीय स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो कल तक 'कश्मीर की आजादी' की दुहाई देकर आतंक फैलाने के लिए, सैनिकों का अपहरण और हत्या करते थे आज कश्मीर के ही बच्चों का अपहरण और हत्याएं कर रहे हैं (मुखबिरी के शक में)। यह स्थिति भारतीय सेना के समक्ष उनके द्वारा अपनी हार को स्वीकार करने और उससे उपजी निराशा को व्यक्त करने जैसा है।

कश्मीर का युवा अब बंदूक छोड़ कर अपने हाथों में लैपटॉप लेकर इन्हें अपना जवाब दे चुका है अब बारी पंजाब के लोगों की है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं लेकिन जवाब पंजाब के लोगों को देना है। और ये जवाब लड़कर नहीं, शांत रह कर देना है। अपने खेतों को हरा भरा रख कर देना है। उनकी हर साजिश को अपनी समझदारी से नाकाम कर देना है। जो पंजाब आतंक की गलियों को, खून से सने खेतों को, हथियारों के जखीरों को, बारूद की चिंगारियों को, घर घर जलती लाशों को, टूटती चूड़ियों की आवाजों को, उजड़ती मांगों को, अनाथ होते बच्चों के आंसूओं को बहुत पीछे छोड़ आया है, निस्संदेह आज उसे भूला नहीं है।

आज पंजाब भले ही खुशहाल है लेकिन जो सिसकियाँ खिलखिलाहट में बदल चुकी हैं उन्हें वो भूला नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए।

तभी शायद वो उसकी आहट को बहुत दूर से ही पहचान चुका है। इसलिए आतंकवाद को जवाब देश का आवाम देगा, पंजाब का बच्चा बच्चा देगा।

साहेब...देश ऐसे नहीं चलता है

पुण्य प्रसून वाजपेयी

सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी, आरबीआई और सरकार। मोदी सत्ता के दौर में देश के इन चार प्रीमियर संस्थान और देश की सबसे ताकतवर सत्ता की नब्ज पर आज की तारीख में कोई अंगुली रख दें तो घड़कने उसकी अंगुलियो को भी छलनी कर देगी। क्योंकि ये सभी अपनी तरह के ऐसे हालातों को पहली बार जन्म दे चुके हैं जहा सत्ता का दखल, क्रोनी कैप्टलिज्म , भ्रष्टाचार की इंतहा और जनता के साथ धोखाधडी का खुला खेल है और इन सारे नजारों को सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक दायरे में देखना- परखना चाह रहा है लेकिन सत्ता का कटघरा इतना व्यापक है कि संवैधानिक संस्थाये भी बेबस नजर आ रही है। एक एक कर परतों को उठाये तो रिजर्व बैंक चाहे सरकार की रिजर्व मनी की मांग पर विरोध कर रहा है लेकिन बैकों से कर्ज लेकर जो देश को चूना लगा रहे हैं उनके नाम सामने नहीं आने चाहिये इस पर रिजर्व बैंक की सहमति है। यानी एक तरफ सीवीसी रिजर्व बैंक को नोटिस देकर पूछ रहा है कि जो देश का पैसा लेकर देश छोड़ कर चले गये और जो जा सकते हैं, या फिर खुले तौर पर बैंको को ठेंगा दिखाकर कर्ज लिया पैसा ही लौटाने को तैयार नहीं है उनके नाम तो सामने आने ही चाहिये। लेकिन इस पर रिजर्व बैंक की खामोशी और मोदी सत्ता का नाम सामने आने पर इक्नामी के डगमगाने का खतरा बताकर खामोशी बरती जा रही है। यानी एक तरफ बीते चार बरस में देश के 109 किसानों ने खुदकुशी इसलिये कर दी क्योंकि पचास हजार रुपये से नौ लाख रुपये तक का बैंक से कर्ज लेकर ना लौटा पाने की स्थिति में बैंकों ने उनके नाम बैंको के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिये। तो सामाजिक तौर पर उनके लिये हालात ऐसे हो गये कि जीना मुश्किल हो गया और इसके सामानांतर बैंको के बाउंसरों ने किसानो के मवेशी से लेकर घर के कपडे भाडे तक उठाने शुरु कर दिये। जिस किसान को सहन नहीं हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन इसी सामानांतर देश के करीब सात सौ से ज्यादा रईसों ने कर्ज लेकर बैंक को रुपया नहीं लौटाया और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने जब इन कर्जदारों के नामो को सरकार को सौंपा तो सरकार ने ही इसे दबा दिया। सीआईसी कुछ नहीं कर सकता सिवाय नोटिस देने के। तो उसने नोटिस दे दिया। यानी सीआईसी दंतहीन है, लेकिन सीवीसी दंतहीन नहीं है। ये बात सीबीआई के झगडे से उभर कर आ गयी। खासकर जब सरकार सीवीसी के पीछे खडी हो गई। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने जब सीवीसी की जांच को लेकर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपा तो तीन बातें साफ हो गई। पहला सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर आस्थाना के बीच सीवीसी खडी है। दूसरी सीवीसी बिना सरकार के निर्देश के सीबीआई के डायरेक्टर की जांच कर नहीं सकती है यानी सरकार का साथ मिले तो दंतहीन सीवीसी के दांत हाथी सरीखी नजर आने लगेगें। और तीसरा जब संवैधानिक संस्थानो से सत्ता खिलवाड करने लगे तो देश में आखरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही बचता है। और आखरी रास्ता का मतलब संसद इसलिये नहीं है क्योकि संसद में अगर विपक्ष कमजोर है तो फिर सत्ता हमेशा जनता की दुहाई देकर संविधान को भी दरकिनार करते हुये जनता के वोटों की दुहाई देगी। और यहां सरकार वाकई 'सरकार' की भूमिका में होगी ना कि जन सेवक की भूमिका में। जो हो रहा है और दिखायी दे रहा है।

लेकिन इस कडी में अगर सत्ता के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी जुड़ जायें तो देश किस मोड पर खड़ा है इसका एहसास भर ही हो सकता है। और इस बारिक लकीर को जब कोई पकड़ना या छूना तक नहीं चाहता है तब ये समझने की कोशिश करें कि सीबीआई सिर्फ नाम भर की संस्था नहीं है। या फिर जब किसी संस्था का नाम देश की साख से जुड़ जाता है और अपनी साख बचाने के लिये सत्ता संस्था की साख का इस्तेमाल करने लगती है तो क्या क्या हो सकता है। संयोग देखिये सीबीआई डायरेक्टर ने अपने उपर स्पेशल डायरेक्टर आस्थाना के लगाये गये करप्शन के आरोपों का जवाब जब सीवीसी की जांच रिपोर्ट के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में सौंपा तो चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीबीआई के डीआईजी रहे मनीष कुमार सिन्हा ने खटखटाया, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि सिन्हा ही आलोक वर्मा के निर्देश पर आस्थाना के खिलाफ लगे करप्शन के आरोपों की जांच कर रहे थे, और जिस रात सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर आस्थाना की लडाई के बाद सरकार सक्रिय हुई, सीबीआई हेडक्वाटर में आधी रात को सत्ता का आपरेशन हुआ। उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सबसे प्रमुख भूमिका निभायी। और तब देश को महसूस कुछ ऐसा कराया गया कि मसला तो वाकई देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कभी भी सीबीआई या सीवीसी सरीखे स्वयत्त संस्थानो में दखल दे नहीं सकते। लेकिन जब सत्ता की ही दखल हो जाये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और क्या कर सकते हैं। उनके सामने भी कौन सा विकल्प होगा।

यहां बात रात के आपरेशन की नहीं है बल्कि आस्थाना के खिलाफ जांच कर रहे सीबीआई डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा के उस वक्तव्य की है जो उन्होने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। चूंकि सिन्हा का तबादला रात के ऑपरेशन के अगले ही दिन नागपुर कर दिया गया। यानी आस्थाना के खिलाफ जांच से हटा दिया गया। उन्ही मनीष कुमार सिन्हा ने जब ये कहा है कि अस्थाना के खिलाफ जांच के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दो मौकों पर तलाशी अभियान रोकने के निर्देश दिए थे। वहीं, एक बिचौलिए ने पूछताछ में बताया था कि गुजरात से सांसद और मौजूदा कोयला व खनन राज्यमंत्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी को कुछ करोड़ रुपए की रिश्वत दी गयी थी। इसका अर्थ क्या निकाला जाये। क्या सत्ता सिर्फ अपने अनुकुल हालातों को अपने ही लोगों के जरीया बनाने को देश चलाना मान रही है। और जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही कटघरे में हैं तो फिर बचा कौन? क्योंकि सिन्हा ने अदालत से तुरंत सुनवाई की मांग करते हुए जब ये कहने की हिम्मत दिखा दी कि, 'मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको चौंका देंगे।' तो इसके मतलब दो हैं। पहला दस्तावेज सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरा देश के हालात ऐसे हैं कि अधिकारी या नौकरशाह अब सत्ता के इशारे पर नाचने को तैयार नहीं है और इसके लिये नौकरशाही अब गोपनीयता बरतने की शपथ को भी दरकिनार करने की स्थिति में आ गयी है। क्योंकि करोडों की घूसखोरी में नाम जब सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर का आ रहा है । गुजरात के सांसद जो मोदी सरकार में कोयला खनन के राज्यमंत्री है उनका भी आ रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दागियों को बचाने की पहल करने से आरोपों के कटघरे में खडे किये जा रहे हैं।

क्या सरकार ऐसे चलती है क्योकि रिजर्व बैंक सरकार चलाना चाहती है। सीवीसी जांच को सरकार करना चाहती है। सीबीआई की हर जांच खुद सरकार करना चाहती है, सीआईसी के नोटिस को कागज का पुलिंदा भर सरकार ही मानती है। और जब कोई आईपीएस सुप्रीम कोर्ट में दिये दस्तावेजो में ये लिख दें कि ''अस्थाना के खिलाफ शिकायत करने वाले सतीश सना से पूछताछ के दौरान कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका के बारे में पता चला था।''। और संकेत ये निकलने लगे कि प्रभावशाली का मतलब सत्ता से जुड़े या सरकार चलाने वाले ही है तो फिर कोई क्या कहें। क्योकि सुप्रीम कोर्ट में दी गई सिन्हा की याचिका के मुताबिक, 'सना ने पूछताछ में दावा किया कि जून 2018 के पहले पखवाड़े में कोयला राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी को कुछ करोड़ रुपए दिए गए। हरिभाई ने कार्मिक मंत्रालय के जरिए सीबीआई जांच में दखल दिया था।' और चूकि सीबीआई डायरेक्टर कार्मिक मंत्रालय को ही रिपोर्ट करते हैं तो फिर आखरी सवाल यही है कि सत्ता चलाने का तानाबाना ही क्या इस दौर में ऐसा बुना गया है जहां सत्ता की अंगुलियो पर नाचना ही हर संस्था से लेकर हर अधिकारी की मजबूरी है। नहीं तो आधी रात का आपरेशन जिसे अंजाम देने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सक्रिय हो जाते है।

एनएमसीजी ने हिमाचल प्रदेश में भी 1573.28 करोड़ रुपये की नमामि गंगे परियोजनाओं को दी मंजूरी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति ने 1573.28 करोड़ रुपये की दस परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नौवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति मेंहुई एक बैठक में, यह फैसला किया गया है कि आगरा में यमुना में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। ओ और एम व्यय सहित 857.26 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ 15 वर्ष की अवधि में आगरा सीवरेज योजना (रोकना और पंथातरण कार्यो) की पुनर्सुधार/नवीनीकरण परियोजना की कल्पना की गई।

परियोजना के प्रमुख घटकों में 61 नालों की निकासी, 166 एमएलडी की कुल क्षमता वाले 3 सीवरेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), 9.38 एमएलडी के 10 विकेन्द्रीकृत एसटीपी का निर्माण और 2 वर्तमान एसटीपी का आधुनिकीकरण, रोकने के कार्य में सुधार, एसटीपी का उन्नयन (क्लोरीन डालने के लिए और 15 वर्ष के लिए संचालन और रख-रखाव शामिल हैं। उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से आगरा शहर से यमुना नदी में होने वाले प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा, ताजमहल को बचाने में मदद मिलेगी और नदी के जल की गुणवत्ता और क्षेत्र के कुल सौंदर्य में सुधार होगा।

कार्यकारी समिति ने 73.73 करोड़ रुपये की लागत से रोकना और पंथातरण कार्यो (आईऔरडी) तथा कासगंज में सीवेज शोधन संयंत्र को भी मंजूरी दे दी। इस परियोजना में 2 आईऔरडी ढांचों, 2.8 किलोमीटर की लम्बाई तक नेटवर्क बिछाने और 15 एमएलडी क्षमता की एसटीपी का निर्माण शामिल हैं। परियोजना की लागत में 15 वर्ष के लिए ओऔरएम शामिल है। इस समय कासगंज में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, बेकार पानी खुले नालों में चला जाता है जो अंत में काली नदी में गिरकर नदी में प्रदूषण फैलाता है। इस परियोजना के अंतर्गत काली नदी में गिरने वाले सभी नालों की निकासी की व्यवस्था की जाएगी और बेकार पानी को पम्पपिंग/गुरुत्वाकर्षण प्रवाह के जरिए शोधन के लिए प्रस्तावित एसटीपी में डाल दिया जाएगा।

कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कुल 64.76 करोड़ रुपये और 15 वर्ष के लिए ओऔरएम व्यय वाली परियोजना को भी मंजूरी दी। इसमें 7 एमएलडी के नए एसटीपी का निर्माण, वर्तमान 5 एमएलडी डब्ल्यूएसपी का उन्नयन करके 10 एमएलडी करना है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और शहर का कचरा 6 नालों के जरिए निकलता है। ये नाले गोमती नदी में गिरते हैं जिसके परिणामस्वरूप नदी में प्रदूषण होता है। अत: यह आवश्यक है कि नालों को रोका जाए/ उनका रास्ता बदला जाए, सीवरेज/ कीचड़ का शोधन हो और गोमती नदी में स्वीकार्य स्तर तक धार छोड़ी जाए।

समिति ने बिहार में छपरा, फतूहा, बख्तियारपुर और खगड़िया में 328.52 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी दी। फतूहा में 35.49 करोड़ रुपये, बख्तियारपुर में 35.88 करोड़ रुपये और खगड़िया में 21 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे गंगा नदी में प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। खगड़िया में यह परिकल्पना की गई है कि एसटीपी से शोधित जल का इस्तेमाल शहर में एक जलाशय विकसित करने के लिए किया जाएगा।

वर्द्धमान नगर निगम के अंतर्गत पम्पपिंग स्टेशन और एसटीपी सहित पश्चिम बंगाल में 234.31 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। वर्द्धमान जिला गंगा नदीं के किनारे स्थित नहीं है फिर भी इस शहर का अशोधित खराब पानी बांका नदी के रास्ते गंगा नदी में प्रदूषण फैलाने में योगदान देता है। शहर में कोई केन्द्रीय सीवरेज प्रणाली नहीं है और उसे वर्तमान में स्वच्छता संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हिमाचल प्रदेश के पोंटा शहर के मंडल- II और III के लिए 11. 57 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना को मंजूरी दी गई। पोंटा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बीच सीमा है पोंटा साहिब शहर।

मंत्रिमण्डल के निर्णय

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर भरे जायेंगे 2277 पद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत व सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इंटरफेस प्रदान कर उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य में सशक्त महिला योजना को कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की गई। योजना में ग्रामीण महिलाओं को सतत् आजीविका अवसरों से जोड़ना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल उन्नयन की परिकल्पना है।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सराज क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी कॉलेज खोलने को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के मण्डप में उप-तहसील सृजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। उप-तहसील के अन्तर्गत कुल नौ पटवार वृत होंगे जिनमें 12440 की आबादी शामिल होगी।

बैठक में सिरमौर जिला के पुलिस थाना राजगढ़ के तहत यशवंत नगर में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन सहित पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी प्रदान की गई। इससे क्षेत्र के 48 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे।

बैठक में शिमला जिला के बालूगंज पुलिस थाना के अन्तर्गत शोघी में पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय में अनुबन्ध के आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 54 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में राष्ट्रीय बाल गृह योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित बाल गृहों में तीन बाल गृह कार्यकर्ताओं तथा बाल गृह सहायकों के 15 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में उद्योग विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालीन जल वाहकों सहित राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत अंशकालीन कार्यकर्ताओं, जिन्होंने 31 मार्च, 2018 तथा 30 सितम्बर, 2018 को लगातार आठ वर्षों का सेवाकाल पूरा कर लिया है, को दैनिक भोगी में बदलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला की थूरल तहसील की ग्राम पंचायत भरान्टा के सैन गांव में आवश्यक पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डर के 84 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के विभिन्न 10 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन निमय, 2014 की धारा 35 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की ताकि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में विभिन्न निर्माणों में विचलन को जल्द से जल्द संयोजित किया जा सके।

बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राज्य के शहरों में भीड़भाड़ को कम करने तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए रोप-वे प्रणाली पर प्रस्तुति दी गई। मंत्रिमण्डल ने प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के 2277 रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इन पदों में जेबीटी के 671 पद, टीजीटी के 835, शास्त्री के 375 तथा भाषा अध्यापकों के 396 पद शामिल हैं।

बैठक में राज्य में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हैल्थकेयर) को लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत परिवार फलोटर आधार पर प्रति परिवार (अधिक से अधिक पांच सदस्यों के लिए) प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख रुपये की कैशलैस उपचार कवरेज प्रदान की जाएगी। उपचार सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में पूर्व परिभाषित पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल स्वतः स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए भी सूचीबद्ध होंगे। योजना में राज्य के वह सभी परिवार शामिल होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल ने राज्य में गौवंश के संरक्षण व कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना करने को अपनी मंजूरी प्रदान की। आयोग गौवंश के कल्याण में लगे गौसदनों, गौशालाओं, गौ-अभ्यारणयों, गौ विज्ञान केन्द्रों तथा सामुदायिक पशु पालन केन्द्रों इत्यादि संस्थानों को नियत्रित करेगा। आयोग बे-सहारा गायों से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी मद्दगार होगा।

मंत्रिमण्डल ने पट्टा नियमों के अनुसार पतजलि योग पीठ को पट्टा राशि की स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। नीति का उदेश्य कचरा प्रबन्धन गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करना है जो न केवल पर्यावरण, सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर टिकाऊ हो, बल्कि आर्थिक तौर पर भी व्यवहार्य हो।

सोलन जिला के नालागढ़ में

एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना तथा कुल्लू, बंजार, तीसा तथा शिलाई में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित चार सिविल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया।

बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नगर परिषदों के लिए कार्यकारी अधिकारियों के 10 पद तथा नगर पंचायतों के लिए सात पद भरने का निर्णय लिया गया।

चम्बा जिले में महिला शक्ति केन्द्र योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए महिला कल्याण अधिकारी का एक पद तथा जिला समन्वयक के दो पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती से संकाय (सहायक प्रोफेसर) के 15 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पेंशन एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 107 पदों को सृजित तथा अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की, जिनमें 3 पद सहायक अधीक्षक (जेल), 10 पद मुख्य वार्डर (पुरूष), 6 पद मुख्य वार्डर (महिला), पुरूष वार्डर के 75 पद, महिला वार्डर के 10 पद तथा 3 पद औषधवितरक (डिस्पेंसर) के शामिल हैं।

बैठक में मोटर वाहन नियम के उलंघन तथा राज्य राजकोष में और राजस्व सृजित करने के दृष्टिगत प्रदेश में अन्य राज्यों के वाहनों के प्रवेश पर लगने वाले संमिश्र शुल्क को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में एक सूचना प्रौद्योगिकी सैल सृजित करने तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित करने व इन्हें अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के करसोग मण्डल के कोटलु में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपमण्डल को आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने धर्मशाला में जून, 2019 में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेश महासम्मेलन में भारतीय उद्योग संघ को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सहभागी के तौर पर नामित करने को मंजूरी प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की जाए, जो भारतीय उद्योग संघ के साथ चर्चा करेगा और समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देगा।

बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित सरकारी भूमि को उपमण्डलीय कार्यालय (नागरिक) के पुराने भवन सहित न्यायिक परिसर निर्माण के लिए स्थानान्तरित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला के राजकीय पॉलीटैक्निक कॉलेज धौलाकुंआ में ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग के दो पाठ्यक्रमों को शामिल करने तथा प्रत्येक में 60 सीटों सहित आवश्यक स्टॉफ के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश को देश का शिक्षा हब बनाने के लिए 'मेधा प्रोत्साहन योजना' आरम्भः मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में सार्वभौमिक, निःशुल्क, अनिवार्य तथा गुणात्मक शिक्षा पर राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए घोषणा की कि शिक्षा विभाग में कार्यरत पीजीटी का नाम बदल कर प्रवक्ता किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने गुरू नानक देव जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के लोगों विशेषकर सिख समुदाय को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें राज्य में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास पर गर्व है। प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अधोसंरचना स्तरोन्नयन किया गया है और हजारों प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की गई है ताकि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित बनाई जा सके।

हिमाचल प्रदेश को देश का शिक्षा हब बनाने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में अटल आदर्श विद्या केन्द्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापन एक आदर्श व्यवसाय है और राष्ट्र निर्माण में अध्यापकों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है, जब उसके पास समर्पित, योग्य और निष्ठावान अध्यापकों की टीम हो।

मुख्यमंत्री ने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन लगभग

18 किलोमीटर पैदल सफर करते थे परन्तु आज प्रदेश में लगभग तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर शिक्षण संस्थान है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षण संस्थान वोट को नजर में रख कर खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अन्तिम महीनों में एक लाख रुपये प्रति कॉलेज बजट का प्रावधान कर 21 महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाएगा। उन्होंने स्कूल लेक्चरर के पदोन्नती कोटे को 50 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कम परिणाम वाले अध्यापकों की वार्षिक वृद्धि पर लगी रोक को एक बार के लिए वापिस लेने की घोषणा की।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश को देश की एक प्रख्यात पत्रिका द्वारा कराए गए स्टेट ऑफ स्टेट सर्वेक्षण में देश के बड़े राज्य की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है तथा इसके लिए राज्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज लगभग 24 सरकारी व निजी विश्वविद्यालय के अलावा 18000 से अधिक शिक्षण संस्थान है परन्तु आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अध्यापक न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे समाज को नई दिशा देने की भी क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा ही हमारे राष्ट्र को विश्व गुरू बना सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने को प्रेरित करने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 250 प्रधानाचार्य व 150 मुख्याध्यापकों को पदोन्नत किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद शान्ता कुमार ने कहा कि अध्यापकों के उपर समाज में बदलाव लाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वे यह जानकर प्रसन्न है कि प्रदेश को देश के बड़े राज्य की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए योग तथा नैतिक शिक्षा को शौक्षणिक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और अधिक समर्पण व प्रतिबद्धता से कार्य करने को कहा।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि प्रदेश के शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचल देश के शिक्षा हब के रूप में उभरें। उन्होंने देश की गुरू-शिष्य परम्परा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अध्यापकों के प्रति सम्मान धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिस पर आत्म चिंतन की आवश्यकता है।

उज्ज्वला योजना देश के लोगों के लिए वरदान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विज्ञान भवन, दिल्ली में देश के 65 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित 129 जिलों में नगर गैस वितरण के शिलान्यास के अवसर पर इण्डियन ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इस दौरान हिमाचल प्रदेश के छः जिलों के लिए स्वीकृत नगर गैस वितरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि आईओएजी सिरमौर, सोलन और शिमला जिलों में गैस वितरण नेटवर्क विकसित करेगी, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में यह कार्य भारत गैस रिसोर्सिज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के 60 हजार से अधिक घरों को पाईप लाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जाएगी। राज्य में 55 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और रसोई के अतिरिक्त सम्बन्धित औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों को भी प्राकृतिक गैस उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि इण्डियन ऑयल निगम लिमिटेड और आईओएजी की सहायता से चण्डीगढ़ के साथ-साथ प्रदेश के परमाणु, बरोटीवाला और बद्दी में शहरी गैस वितरण प्रणाली का विकास किया जा रहा है, जिससे राज्य में सीएनजी और पाईप लाईन प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला एवं अन्य इधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस उत्कृष्ट है। सीएनजी के रूप में प्राकृतिक गैस पैट्रोल की तुलना में 60 प्रतिशत और डीजल की तुलना में 40 प्रतिशत सस्ती है। इसी प्रकार पीएनजी के रूप में एलपीजी की बाजार दर की तुलना में 40 प्रतिशत सस्ती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार की उज्ज्वला योजना देश के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों के लिए और भी उपयोगी है, जहां ईधन के लिए लकड़ी पर अधिक निर्भरता है। प्रदेश सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हिमाचल गृहिणी सुविधा भी आरम्भ की है ताकि उन लोगों को लाभान्वित किया जा सके, जो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। अभी तक 33 हजार से अधिक लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन और गैस चुल्हे मुफ्त वितरित किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले:रजनी पाटिल

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव के मद्देजनर कांग्रेस पार्टी की ओर से ऊना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर तक को कटघरे में खड़ा किया है।

ऊना में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का एक दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक अछूता नहीं रहा है। राफेल खरीद और नोटबंदी घोटाले के तार सीधे पीएमओ से जुड़े हैं। पीएम अब भ्रष्टाचार और काला धन वापिस लाने की बात नहीं करते। हर खाते में 15-15 लाख जमा कराने हैं, ये भी भूल चुके हैं। बेरोजगारी दूर करना तो दूर, बेरोजगारों की नई फौज नौकरी छीन कर मोदी सरकार ने खड़ी कर दी। नरेंद्र मोदी सरकार का सूपड़ा साफ करने के लिए जनता बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है।

इस मौके पर सह प्रभारी गुरकीरत कोटली ने कहा कि कार्यकर्ता व नेता अब चैन से न बैठें। शक्ति एप पर पंजीकरण की प्रक्रिया तेज कर अधिक से अधिक लोगों को राहुल गांधी से जोड़ें। दस दिसंबर तक बूथ कमेटियां बनाने का काम पूरा कर लें।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के मित्र रहे कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 25 साल से भाजपा सांसद हैं। विकास में भाजपा सांसद रोड़ा बना हुआ है। पूर्व यूपीए सरकार में स्वीकृत एम्स, मेडिकल कॉलेज तक चार साल में मोदी सरकार बना नहीं पाई। क्षेत्र के सांसद अपने तक ही सीमित रहे। उन्होंने क्षेत्र की आवाज को न दिल्ली में उठाया और न ही क्षेत्र से संबंधित कोई सवाल उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसदीय क्षेत्र में आए, लेकिन जुमलों से अधिक कुछ नहीं दिया। जनता को झूठे सपने दिखाकर वोट बटोरे गए। चारों लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में जनता ने डालीं, बावजूद हिमाचल को कुछ नहीं मिला।

सांसद के गोद लिए गांव की दुर्दशा से हर कोई परिचित है। नंगल-तलवाड़ा रेललाईन को पीएम मोदी ने एक साल में पूरा करने का वादा किया था। मगर वह भी हकीकत नहीं बन पाया। यूपीए सरकार में अंब- सुजानपुर- पालमपुर व ऊना-हमीरपुर लाने के सर्वे के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, अभी तक सांसद उसका सर्वे तक नहीं करा पाए। भाजपा ने प्रदेश को ठगा है, इसलिए हर कांग्रेसी मोदी सरकार को सबक सिखाने के लिए कमर कस ले।

धर्मशाला में होगी पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 में हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जून, 2019 में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन जिला काँगड़ा के धर्मशाला में किया जा रहा है जिसमे प्रदेश को एक आदर्श निवेश स्थली के रूप में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शासन तक सहज पहुंच, पारदर्शी कार्यप्रणाली, बेहतरीन कानून व्यवस्था, भयमुक्त वातावरण व निर्बाध तथा गुणवत्ता युक्त बिजली की आपूर्ति प्रदेश के वो अतिरिक्त शक्ति बिंदु हैं जो कि निवेश को आकर्षित करने में सहायक हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 48500 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं जिनमे लगभग 3200 करोड़ का निवेश हुआ है तथा 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है इन उद्योगों में लगभग 11 प्रतिशत उद्योग सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्योग हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल उद्योग बल्कि सेवा क्षेत्र को भी सशक्त करने हेतु प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र का राज्य सकल घरेलु उत्पाद में योगदान 5.9 से बढ़कर 44 प्रतिशत हो गया है उन्होंने कहा कि उद्योग सेवा क्षेत्र व व्यवसाय में निवेश को सरल व सस्ता करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा स्वावलम्बन तथा आजीविका योजनाएं शुरू की गयी हैं जिससे उद्यमिता विकास व स्वरोजगार के अवसर यवाओं को मिल रहे हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में 8 इनक्यूबेटर स्थापित किये गए हैं जिनमे 40 युवाओं के व्यावसायिक विचारों को बाजार में लाने हेतु प्रोटो टाइप तैयार करने के लिए हर प्रकार की सहायता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि इसमें से लगभग 8 स्टार्टअप ने अपने उत्पाद मार्किट में लांच कर दिए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लांच की गयी स्टार्टअप यात्रा 14 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के भ्रमण पर है। इस यात्रा के दौरान 922 भावी उद्यमियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है।

विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में जिला काँगड़ा में चन्नोर को नया औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया है जहां स्थानीय युवाओं को इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने सुधार किया है तथा गत वर्ष के 65.48 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष का इम्प्लीमेंटेशन स्कोर 99.13 प्रतिशत रहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए आकलन में प्रदेश को फास्ट मूविंग स्टेट्स में प्रथम स्थान मिला तथा प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे।

सर्दी से निपटने के लिये प्रशासन ने शुरू की तैयारी

सोलन/शैल। उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड तथा भारत संचार निगम लिमिटिड सहित विभिन्न विभागों को शीत ऋतु के दृष्टिगत पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपायुक्त ने कहा कि जिला के चायल, कसौली तथा बड़ोग क्षेत्र में शीत ऋतु में बर्फबारी होती है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न भागों में वर्षा के कारण भी विभिन्न व्यवस्थाओं के छिन्न-भिन्न होने का अंदेशा रहता है। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने एवं नुकसान को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय एवं उचित तैयार आवश्यक है।

विनोद कुमार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि शीत ऋतु के दृष्टिगत जिले के मार्गो एवं संपर्क मार्गो का उचित रखरखाव सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने विभाग को विभिन्न सड़कों की मुरम्मत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को जिले में पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड को निर्देश दिए कि शीत ऋतु के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति सुचारू रखी जाए और विभिन्न विद्युत लाइनों का रखरखाव एवं मुरम्मत उचित रहे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि शीत ऋतु के दृष्टिगत विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति हो। उन्होंने रसोई गैस तथा मिट्टी तेल के समुचित भण्डारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिले के अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं का भण्डारण करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी उपमण्डला धिकारियों को निर्देश दिए कि शीत ऋतु के दृष्टिगत पूर्ण तैयारी रखे तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सजग रहने के लिए कहें। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति से त्वरित निपटने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की जाए। उन्होंने बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्यवाही दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए।

HRTC के वाहनों की खरीद में निभाई गई पूरी पारदर्शिता

शिमला/शैल। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय मुंबई और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिवक्ता रघुनाथ बी. महाबल द्वारा की गई शिकायत तथ्यों के विपरीत है तथा खुली निविदा प्रणाली में किसी को भी अवैध लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि वाहनों की खरीद के लिए खुली निविदाओं को आमंत्रित किया गया था तथा इसका प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप गलत तथा तथ्यों के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व के उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार इस निविदा की कीमतें भारत में सबसे कम हैं।

उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम द्वारा पूर्व निविदाएं वर्ष पहले आमंत्रित की गई थी तथा अपने पिछले अनुभव से सीख लेते हुए पथ परिवहन निगम ने इस निविदा में वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (एएमसी) न रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि 12 सितम्बर, 2018 को जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में कोई भी एएमसी प्रावधान नहीं रखे गए थे जैसा कि आरोप लगाया गया है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि वाहनों की खरीद के लिए खुली व पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी ताकि इन निविदाओं में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। प्री-बिड में 7 वाहन निर्माण कम्पनियों द्वारा भाग लिया गया था तथा निविदा में चार भारतीय वाहन विनिर्माण करने वाली कम्पनियां आई थी जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा कर रही थीं तथा ये भारत सरकार की एफएएमई योजना के तहत भी पंजीकृत है। वास्तव में निगम ने निविदा दस्तावेजों को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया था कि इसमे अधिकतम भागीदारी हो सके।

प्रवक्ता ने कहा कि किसी योग्यता मानदंड को किसी भी व्यक्ति के अनुरूप बनाने का आरोप आपत्तिजनक है क्योंकि किसी भी वाहन निर्माता को निविदा में भाग लेने से नहीं रोका गया था तथा निविदा में प्राप्त कीमत, भारत में सबसे कम हैं। उन्होंने कहा कि फाईनेशयल बिड खोलने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। निविदाएं पारदर्शिता तथा निविदा दस्तावेज के साथ नियमों व शर्तों के अनुसार बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली गई थीं। उन्होंने कहा कि निगम के सभी तकनीकी, परिचालन व वाणिज्यिक हित निविदा दस्तावेजों के अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वीरभद्र की जयराम के प्रति नरमी के बाद लोस चुनावों में उनकी संभावित भूमिका पर उठने लगे सवाल

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मई में होंगे। इन चुनावों की तैयारियां राजनीतिक दलों ने अभी से शुरू कर दी हैं। इन तैयारियों के तहत चुनावों के लिये संभावित उम्मीदवारों को चिन्हित करना और चुनावी मुद्दों को तलाशने का काम

चल रहा है। इस प्रक्रिया में यह स्वभाविक है कि केन्द्र से लेकर राज्यों तक हर जगह सत्तारूढ़ सरकारों का कामकाज ही केन्द्रिय मुद्दा रहेगा क्योंकि हर राजनीतिक दल चुनावों से पहले जनता के सामने लम्बे चौड़े सपने परोसता है। जनता इन सपनों/वायदों पर भरोसा जताकर किसी दल को सत्ता सौंपती है। चुनावी वायदों के बाद हर साल बजट में भी यही सपने बेचे जाते हैं। इन सारे सपनों की व्यवहारिकता का आकलन फिर आकर चुनावों में ही होता है तब फिर से जनता को अपने प्रतिनिधियों से कुछ पूछने का मौका हालिस होता है। इस संद्धर्भ में जनता को जागरूक करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की रहती है। यह जिम्मेदारी निभाते हुए कई बार विपक्ष बीच-बीच मे सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक को आरोप पत्र सौंपता है। यह आरोप पत्र जनता को जागरूक रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें मीडिया की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है।

इस परिदृश्य में यदि प्रदेश की राजनीति का आकलन किया जाये तो यहां पर दो ही राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लगभग सबकुछ केन्द्रित हो कर रह गया है। यहां का अधिकांश मीडिया भी सुविधा भोगी हो चुका है। उसकी प्राथमिकता भी जन सरोकारों की जगह सत्ता सरोकार होकर रह गये हैं। अन्य राजनीतिक दल भी लगभग तटस्थता की भूमिका में है क्योंकि उनके लिये अपने होने का अहसास करना ही एक बड़ा संकट हो गया है। इस वस्तुस्थिति में प्रदेश कांग्रेस पर ही सबसे अधिक जिम्मेदारी आ खड़ी होती है लेकिन क्या कांग्रेस इस जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार सिद्ध हो पा रही है। कांग्रेस के हाथ में सबसे अधिक वक्त तक प्रदेश की सत्ता रही है। अभी तक भी भाजपा ने कांग्रेस से ही सत्ता छिनी है। कांग्रेस के वीरभद्र छः बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। प्रदेश में आज कोई भी दूसरा नेता किसी भी दल में ऐसा नही है जिसका राजनीतिक कद वीरभद्र के बराबर हो। लेकिन क्या वीरभद्र ने अपने ही दल में किसी को अपना उत्तराधिकारी प्रोजैक्ट करने को प्रयास किया है। आज भी वह सातवीं बार प्रदेश का मुख्यमन्त्री बनने का मोह पाले हुए हैं। उन्हे कांग्रेस के संगठन मे तो युवा नेतृत्व चाहिये लेकिन मुख्यमन्त्री बनने के लिये नहीं। आज यह सारे सवाल उठने शुरू हो गये हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में वीरभद्र की भूमिका क्या रहने वाली है। क्योंकि वह अगला लोकसभा का चुनाव नही लड़ना चाहते हैं यह वह पूरी स्पष्टता से कह चुक हैं बल्कि यहां तक कह चुके हैं कि उनके परिवार से कोई भी यह चुनाव नही लड़ेगा। इसी के साथ वह पार्टी को जीताने के लिये सक्रिय योगदान देने ओर सातवीं बार मुख्यमन्त्री होने की भी बात कह चुके हैं। राजनीतिक विश्लेष्कों की नजर में इस तरह के ब्यानों से अन्त विरोध ही झलकता है। इस तरह के अन्त विरोध के दो ही अर्थ निकलते हैं कि या तो आप अपरोक्ष में पार्टी पर दवाब बना रहे हैं कि वह आपकी शर्ते माने या फिर आप सत्तारूढ़ सरकार के दवाब में चल रहे हैं।

इस समय पार्टी अध्यक्ष सुक्खु जयराम सरकार के प्रति काफी आक्रामक दिख रहे हैं। जब उन्होने सरकार के खिलाफ आरोपपत्र लाने की बात की तो उस पर सत्ता पक्ष की ओर से काफी तीव्र प्रतिक्रियाएं आयी। सुक्खु की ही आक्रामकता को आगे बढ़ाते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार से राष्ट्रीय उच्च मार्गो और केन्द्र से विभिन्न योजनाओं के नाम पर नौ हजार करोड़ मिलने के दावों की तफसील मांग कर सरकार को और असहज कर दिया है। क्योंकि इनमें दावों के अतिरिक्त धरातल पर बहुत कुछ है ही नहीं। ऐसे में जब पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के नेता दोनों ही पूरी आक्रामकता में चल रहे हों तब वीरभद्र जैसे नेता का मुख्यमन्त्री को यह अभय दान देना कि अभी उनके कामकाज के आकलन का सही समय नही है। उनकी संभावित भूमिका पर कई सवाल खड़े कर जाता है। क्योंकि इस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस कदर मोदी और उनकी सरकार के प्रति आक्रामक है उसको प्रदेशों में भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और यह जिम्मेदारी हिमाचल के संद्धर्भ में वीरभद्र पर ही सबसे पहले आती है क्योंकि वही छः बार के मुख्यमन्त्री हैं। लेकिन वीरभद्र के ब्यानों से यही झलक रहा है कि वह अभी जयराम का विरोध करने के लिये तैयार नही हो पाय रहे हैं। क्या सही में अभी जयराम के कामकाज का आकलन करना जल्दीबाजी है यदि इस पर निष्पक्षता से विचार किया जाये तो अधिकांश लोग वीरभद्र सिंह की इस धारणा से सहमत नही होगे। क्योंकि आकलन जयराम के व्यक्तिगत- पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन का नही किया जाना है। इस दृष्टि से वह एक सरल व्यक्ति हैं लेकिन आकलन मुख्यमन्त्री का होना है क्योंकि बतौर मुख्यमन्त्री उनके एक एक फैसले का पूरे प्रदेश पर असर होगा। अभी दस माह के कार्यकाल में ही सरकार को लगभग हर माह कर्ज लेना पड़ा है। प्रदेश की वित्तिय स्थिति क्या है? वीरभद्र किस दिशा -दशा में सरकारी कोष को छोड़ कर गये हैं। इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को देना जयराम सरकार की जिम्मेदारी थी। यदि यह स्थिति चिन्ताजनक थी तो इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिये था लेकिन ऐसा हुआ नही है। बल्कि जिस अधिकारी ने धूमल- वीरभद्र दोनों के कार्यकाल में वित्त सचिव की जिम्मेदारी निभाई वह आज जयराम के प्रधान सचिव होकर और भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गये हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि विरासत में जयराम को सब कुछ सही दिशा में मिला है। ऐसे में आज जो हर माह कर्ज लेना पड़ रहा है और परिवहन में किराये बढ़ाने पड़े हैं वह सब इसी सरकार के प्रबन्ध का परिणाम है। जिसे किसी भी तर्क पर जायज नही ठहराया जा सकता है। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की गंभीरता पर अभी से गंभीर प्रश्नचिन्ह लग चुके हैं। कुल मिला कर यह कहना गलत है कि मुख्यमन्त्री का आकलन करना अभी जल्दबाजी है।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि वीरभद्र जयराम के प्रति इतने नरम होकर क्यों चल रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में यह चर्चा आम हो गयी है कि केन्द्र सरकार वीरभद्र के मनीलॉड्रिंग मामले को उन पर अब भी दवाब बनाये हुए है। पिछले दिनों जब ईडी ने वीरभद्र के कारोबारी मित्र वक्कामुल्ला चन्द्र शेखर की इस मामले में जमानत रद्द करवाने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका डाली तब से यह चर्चा जोरों पर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी के आग्रह को अस्वीकार करते हुए उल्टा यह पूछ लिया कि आप सहअभियुक्तों के प्रति तो इतने सक्रय हैं लेकिन मुख्य अभियुक्त के प्रति एकदम चुप क्यों है। इसका ईडी के पास कोई जवाब नही था और उसने यह याचिका वापिस ले ली। यदि कहीं उच्च न्यायालय इस याचिका को स्वीकार कर लेता तो फिर से अब तक वीरभद्र से पूछताछ किये जाने का दौर शुरू हो चुका होता और यदि ऐसा हो जाता तो पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाता। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के राज कुमार, राजेन्द्र सिंह बनाम एसजेवीएनएल मामले में आये फैसले से भी स्थिति असहज हुई है। इस फैसले पर अमल जयराम सरकार को करना है और अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। माना जा रहा है कि इन फैसलों के परिदृश्यों में ही वीरभद्र का स्टैण्ड स्पष्ट नही हो पा रहा है।

कर्मचारियों का CPF शेयर बाजार में निवेशित 80,000 कर्मचारी खफा

शिमला/शैल। न्यू पैंशन स्कीम से खफा प्रदेश के 2003 के बाद सरकारी नौकरी में लगे अस्सी हजार के करीब कर्मचारियों को पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर एनपीएस कर्मचारी संघ ने 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर कर्मचारियों से दिल्ली चलो का आहवान किया हैं। राजधानी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि न्यू पैंशन स्कीम के तहत जो दस फीसद अंशदान सीपीएफ का काटा जा रहा है। वह भी सरकार ने कारोबारियों के फायदे के लिए शेयर बाजार के हवाले कर दिया हैं। ऐसे में कर्मचारी को नहीं पता जब वह सेवानिवृत होगा तो उसके हिस्से में उसकी ओर से जमा अंशदान की रकम भी आएगी या नहीं।

उन्होंने सरकार से मांग की कि इस रकम को शेयर बाजार में लगाने के बजाया बैंकों में जमा कराए ताकि पैसा सुरक्षित रहे और सरकार इसे इस्तेमाल करे।

संघ के महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 85 हजार सरकारी कर्मचारियों की ओर से सीपीएफ के दस फीसद के तहत महीने में 480 करोड़ रुपए जमा कराए जाते हैं। ये तमाम रकम शेयर बाजार के मार्फत कारोबारियों के हाथ चली जाती हैं व वो मुनाफा कमाते हैं। अगर शेयर बाजार टूट गया तो कर्मचारियों के हाथ क्या लगेगा किसी को कोई पता नहीं। उन्होंने कहा कि नई पैंशन स्कीम के तहत अगर कर्मचारी का निधन हो जाता है तो कर्मचारी की पत्नी को पैंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया हैं। अगा कर्मचारी विकलांग हो गया तो भी यह प्रावधान खत्म हैं। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5 मई 2009 को इस वर्ग के लिए पैंशन का प्रावधान कर दिया हैं लेकिन प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की ये मांग अब तक अनसुनी की हुई है। इसके अलावा पहले जीपीएफ जमा होता था अब वह भी जमा नहीं होता है।

ये पूछे जाने पर कि 2003 के बाद कर्मचारी अब तक खामोश क्यों रहे। ठाकुर और शर्मा ने दिलचस्प जवाब देते हुए कहा कि कई साल तक तो कर्मचारियों की समझ में यह योजना आई ही नहीं। इसके अलावा तब के कर्मचारी नेताओं ने आवाज भी नहीं उठाई। प्रदेश में बहुत से निगम व बोर्डो में पुरानी पैंशन योजना भी लागू नहीं थी। ऐसे में यह पूछे जाने पर कि जब वो कर्मचारी संघर्षरत थे तो वो क्यों खामोश रहते थे। उन्होंने कहा कि अब तमाम लोग साथ हैं।

इन दोनों कर्मचारी नेताओं ने विधायकों, लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को मिलने वाली पैंशन पर भी सवाल उठाया कि अगर इनमें से कोई एक दिन भी इस पद पर पहुंच जाता हैं तो वह ताउम्र के लिए पैंशन का हकदार हो जाता हैं। ऐसे में कर्मचारियों को पुरानी पैंशन से वचिंत करना सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पैंशन योजना बहाल की जानी चाहिए।